सज्जन कुमार बनाम हीरालाल वगै0
मु0नं0 164/2020
दावा अ0धा0 53, 188

दिनांक –08.06.2022 आज यह पत्रावली वकील वादी की ओर से मिसल तलबी का प्रार्थना पत्र पेश होने पर फॉलोअप राजस्व कैम्प भावठड़ी में तबल की गई। वकील वादी को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार सूरजगढ़ से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हो चुके है। अधिवक्ता वादी ने विभाजन प्रस्ताव के मुताबिक दावा अंतिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री किया जाकर विवादित भूमि ख.नं. 117, 137, 138, 139, 140, 300/117, 42, 43, 233/216, 202, 216, 217 वाके मौजा गोपालपुरा का विभाजन प्रस्ताव क्रमांक भू.अ./21/1529 दिनांक 06.09.2021 में अंकितानुसार पक्षकारान को अलग अलग खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार सूरजगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वह विभाजन प्रस्ताव में अंकितानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें। विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। उक्तानुसार पर्चा डिक्री मुर्तिब हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

(संदीप चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ